

28/3/2022

अगिलेख उपस्थापित किया गया। देनदार
द्वारा बकाया शरिफ बैंक में जमा कर दिया
गया है।

बैंक से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार
बाद की वसुली कार्टवाई बंद की जाती है।

लेखापित्र

28/3/22
नीलाश पत्र पदाधिकारी
याकुलिना